

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चिस।

द०प्र०सं० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० नं० संख्या- 117 / 2019

16/4-
25/4-
2/5-
9/5-
3/6-
19/6-
22/6

प्रथम पक्ष :- 1. राज्य सरकार द्वारा बनाया प्रभासी चन्दनकियासी थाना, जिला बोकारो।
:- बनाम :-

द्वितीय पक्ष :- 1. राजेश भगत पेट 0 जोगन भगत सा० चन्दनकियासी चौक 2. महुल राम पेट 0 सा० मोहम्मद
राय सा० चन्दनकियासी चौक 3. जोगेन महतो पेट 0 आनन्द महतो सा० चन्दनकियासी
चौक 4. मनोज महतो पेट 0 लम्बु महतो ग्राम प्रमानन्द टोला चन्दनकियासी
थाना-चन्दनकियासी जिला बोकारो।
कार्यवाही

चन्दनकियासी थाना अप्राथमिकी संख्या 16/19 जो पु० नि० चन्दनकियासी अंचल से
अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।
उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्षों से आगामी
लोक सभा चुनाव 2019 के अवसर पर तनाव एवं विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका है।
परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा 107 के
अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध धारा 107
द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। द्वितीय पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 6-4-19
को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में (पहचान पत्र के साथ) उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि
कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच
हजार) रुपये का बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभूतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया
जाय।

6/4/19 थाना से सूचना का तालिका प्राप्त। अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चिस।
द्वितीय पक्ष के क्र. सं. 1, 2, 3, 4 का धारो है
अतिरिक्त दिनांक 16-4-19 की रखे।

16/4/19 दि० पक्ष क्र० सं० 1, 2, 3, 4 का धारो है
दिनांक 25/4/19 को रखे

25/4/19 दि० पक्ष अनुपलब्ध
दिनांक 31/5/19 को रखे- S.O.M
Chas

31/5/19 दि० पक्ष अनुपलब्ध
दिनांक 9/6/19 को रखे S.O.M
Chas

9/6/19 दि० पक्ष अनुपलब्ध
दिनांक 16/6/19 को रखे S.O.M
Chas

४४६/१९

विशेष पत्र अध्यापिकाओं को
दिनांक १५/६/१९ को रखा

४४६/१९
८८५

१५/६/१९

विशेष पत्र अध्यापिकाओं को

दिनांक २६/६/१९ को रखने

६/६/१९

विशेष पत्र अध्यापिकाओं को

चुनाव शांतिपूर्ण रूप से होने के पश्चात् बाद की कार्यवाही
जमाप की जाती है।

४४६/१९
८८५

२६/६/१९